सं०सं०–1/आई०–13/2010– 1347 (1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 30 / 11 /2017

विषयः– इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल प्राक्कलित राशि रू० 5,86,23,83,360/– (रुपये पाँच अरब छियासी करोड़ तेईस लाख तिरासी हजार तीन सौ साठ) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 1,16,00,00,000/–(रुपये एक सौ सोलह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु राज्यादेश सं0–825(1) दिनांक–19.12.2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल प्राक्कलित राशि रू० 5,86,23,83,360/–(रुपये पाँच अरब छियासी करोड़ तेईस लाख तिरासी हजार तीन सौ साठ) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना हेतु संस्थान को वित्तीय वर्ष 2011–12 में रु0 25,00,00,000/–(रुपये पच्चीस करोड़) मात्र, वित्तीय वर्ष 2014–15 में रु0 25,00,00,000/–(रुपये पच्चीस करोड़) मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 5,00,00,000/–(रुपये पाँच करोड़) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई थी। संस्थान को उपलब्ध कराई गई कुल राशि रु0 55,00,00,000/–(रुपये पचपन करोड़) मात्र में से संस्थान द्वारा सामंजन के उद्देश्य से रु0 10,00,00,000/–(रुपये दस करोड़) मात्र सरकारी कोष में जमा करते हुए शेष राशि (रु0 45,00,00,000/–) का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु0 10,00,00,000/–(रुपये दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। संस्थान के मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और उन्हें राशि की तत्काल आवश्यकता है। अतः पूर्व के आवंटन के क्रम में संस्थान के इस स्वीकृत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 1,16,00,00,000/–(रुपये एक सौ सोलह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/वि०(2), दि०–08.04.08, 3388/वि०(2), दि०–18.04.11, संकल्प सं0–2063/वि0, दिनांक–11.03.2016 एवं 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3– उक्त कार्य निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना द्वारा कराया जाएगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे :–

(क) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी०डब्लू०डी० कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(ख) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की सारी जवाबदेही निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की होगी।

क्रमशः

4– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–200–अन्य पद्धतियाँ–0101–इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड–20–2210052000101 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के योजना आय–व्ययक में विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान– परिसम्पत्तियों के निर्माण में उपबंधित राशि एवं स्वीकृत्यादेश सं0–1281(1) दिनांक–09.11.2017 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि (सं0–73CF, दिनांक–08.11.2017) से प्राप्त उपबंध से किया जायेगा।

5– चूँकि इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वायत्तशासी संस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग इस राशि की निकासी ए०सी० बिल पर नहीं करेंगे बल्कि अनुदान विपत्र बी०टी०सी० फॉर्म–42 में कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, पूर्व प्राप्त रसीद (Pre-receipted Voucher) लेकर, निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध कराएँगे। निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराएँगे।

7– इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

8– इस राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9– इसमें विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

10– यह मात्र राज्यादेश है। आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/11/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/आई०–13/2010– 1347(1) /स्वा०, पटना, दिनांक– 30 / 11 /2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/11/17

सरकार के विशेष सचिव

संoसंo–1/आईo–13/2010– 580(1) स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 30 / 11 /2017

विषय:– इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल प्राक्कलित राशि रू० 5,86,23,83,360/– मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 1,16,00,00,000/–(रुपये एक सौ सोलह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 1,16,00,00,000/–(रुपये एक सौ सोलह करोड़) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–825(1) दिनांक–19.12.2011 द्वारा इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल प्राक्कलित राशि रू० 5,86,23,83,360/– मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना हेतु विभागीय व्ययादेश सं0–1347(1) दिनांक–30.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 1,16,00,00,000/–(रुपये एक सौ सोलह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 1,16,00,00,000/–(रुपये एक सौ सोलह करोड़) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सह–पठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/वि०(2), दि०–08.04.08, 3388/वि०(2), दि०–18.04.11, संकल्प सं0–2063/वि0, दिनांक–11.03.2016 एवं 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उक्त कार्य निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना द्वारा राज्यादेश संख्या–825(1) दिनांक–19.12.2011 एवं व्ययादेश सं0–1347(1) दिनांक–30.11.2017 में निहित निदेशों के अनुसार कराया जाएगा।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–200–अन्य पद्धतियाँ–0101–इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड–20–2210052000101 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के योजना आय–व्ययक में विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान– परिसम्पत्तियों के निर्माण में उपबंधित राशि एवं स्वीकृत्यादेश सं0–1281(1) दिनांक–09.11.2017 द्वारा बिहार आकस्मिकता (निधि सं0–73CF, दिनांक–08.11.2017) से प्राप्त उपबंध से किया जायेगा।

5. चूँकि इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वायत्तशासी निकाय है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

क्रमशः

6. अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग इस राशि की निकासी ए०सी० बिल पर नहीं करेंगे बल्कि अनुदान विपत्र बी०टी०सी० फॉर्म–42 में कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, पूर्व प्राप्त रसीद (Pre-receipted Voucher) लेकर, निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध कराएँगे। निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराएँगे।

7. इस राशि की निकासी विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना से की जाएगी।

8. इस राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

30/11/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/आई०–13/2010– 58 (1) स्वा० /स्वा०, पटना, दिनांक– 30 / 11 /2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/11/17

सरकार के विशेष सचिव

7

326

संоसं0–1/विविध–43/2017– 1281(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा– वित्त विभाग

पटना, दिनांक– 9 / 11 /2017

विषयः– माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–200–अन्य पद्धतियाँ, उपशीर्ष–0101–इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड–20–2210052000101 अन्तर्गत 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रु0 1,15,00,00,000/– (रुपये एक सौ पन्द्रह करोड़) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अन्तर्गत राज्य के इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में रु0 1,15,00,00,000/– (रुपये एक सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की नितान्त आवश्यकता है।

2. उक्त राशि का वहन शीर्ष खण्ड–II– 8000 बिहार आकस्मिकता निधि माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–200–अन्य पद्धतियाँ, उपशीर्ष–0101–इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड–20–2210052000101 में वित्त विभाग के पत्रांक–73 सी0एफ0, दिनांक–08.11.2017 द्वारा स्वीकृत बिहार आकस्मिकता निधि अग्रिम से किया जायेगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

9/11/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/विविध–43/2017– 1281(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 9 / 11 /2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/11/17

सरकार के विशेष सचिव